

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 29.12.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1151/22 धारा 323/504/506/325/342 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.12.22 को कोतवाली बागपत पर वादी मोहित पुत्र सोमे निवासी ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी की अभियुक्तगण 1.टींकू पुत्र दर्शपाल, 2.विकास ब्रहमपाल, 3.नीटू पुत्र ब्रहमपाल व



4.अभिषेक पुत्र ब्रहमपाल निवासीगण ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत ने उसके साथ गाली-गलौच कर मारपीट की व बीच-बचाव में आई उसकी ताई के साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1151/22 धारा 323/504/506/325/342 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1151/22 धारा 323/504/506/325/342 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-विकास पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-नीटू पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-अभिषेक पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत।



दिनाँक -29.12.22

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1182/22 धारा 308/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.12.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री मोनू स्वामी पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी की अभियुक्त प्रवीन पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए सर पर ईंट से वार किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध



में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1182/22 धारा 308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1182/22 धारा 308/504/506 भादिव से सम्बिन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवीन पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना बडौत।

2-का0 1043 सुनील यादव थाना बडौत।



दिनाँक -29.12.22

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1185/22 धारा 147/148/323/352/307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.12.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री देवेन्द्र कुमार मलकपुर सुगर मिल ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.अशोक कुमार पुत्र महिपाल, 2.सोबीर पुत्र रामकुमार, 3. चैनपाल पुत्र पिरथी, 4. विनित उर्फ मोनू पुत्र चैनपाल, 5.वेदांश



पुत्र सतवीर, 6.अशोक कुमार पुत्र सहाबसिंह, 7.बलराम पुत्र महकसिंह, 8.सुनील कुमार पुत्र महिपाल सिंह निवासीगण ग्राम लोयन थाना बडौत व 9.सुधीर कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी सिनौली थाना छपरौली व 10.रितेष पुत्र ओमपाल सिंह निवासी बरवाला द्वारा एक राय होकर वादी व मिल कर्मचारियों के साथ गाली-गलौच करते हुए धारदार हथियारों से लेस होकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0असं0 1185/22 धारा 147/148/323/352/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1185/22 धारा 147/148/323/352/307/504/506 भादिव से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुनील पुत्र महीपाल निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-विनित उर्फ मोनू पुत्र चैयनपाल निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत। <u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
 - 1- उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बडौत।
 - 2- है0का0 59 विजयपाल सिंह थाना बडौत।
 - 3- का० 1058 शरद यादव थाना बडौत।



दिनाँक 29.12.2022

थाना बिनौली पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

ओमप्रकाश पुत्र स्व0 सुखवीर निवासी ग्राम जिवाना थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बिनौली।
- 2-उ0नि0 श्री रक्षपाल सिंह थाना बिनौली।
- 3- है0का0 90 रईस हैदर जैदी थाना बिनौली।
- 4- हो0गा0 435 प्रणवीर सिंह थाना बिनौली।



थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 29.12.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 444/22 धारा 323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सीमेन्ट ईंट का एक टुकडा बरामद।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.12.22 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी सोहित पुत्र बलराज निवासी ग्राम शंजरपुर कैडवा थाना सिंघावली अहीर ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. निसार पुत्र शाहिद निवासी इन्द्रा मार्केट कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके भाई के साथ गाली-गलौच करते हुए ईंट से मारपीट की जिससे उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने धमकी दी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर म्0अ0सं0 444/22 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेत् चालये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 444/22 धारा 323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सीमेन्ट ईंट का एक टुकडा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निसार पुत्र शाहिद निवासी इन्द्रा मार्केट कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

• घटना में प्रयुक्त सीमेन्ट ईंट का एक टुकडा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह सिद्दू थाना सि0अहीर 2-का0 44 संजीव कुमार थाना सि0 अहीर



थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 29.12.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा वारण्टी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

गुलजार पुत्र मौ0 बारू निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 2.है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सि0 अहीर जनपद बागपत
- 3.का0 48 आकाश कुमार थाना सि0 अहीर जनपद बागपत